Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VIII, Issue-II June 2022

ऑस्ट्रेलियाई संविधान का अध्ययन

डॉ. रमेश सिंह कुशवाह

परिचय

ऑस्ट्रेलिया के संविधान को मिश्रित संविधान कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं सामान्य है, जो अन्य संविधानों में भी पायी जाती है, किन्तु कुछ विशेषताऐं इसे संविधानों से विशिष्ट बनाती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रेट ब्रिटेन की भांति ऑस्ट्रेलिया में संवैधानिक राजतंत्र है। परन्तु यह अमेरिका की तरह संघात्मक संविधान है। ऑस्ट्रेलिया की नीति पश्चिम की ओर देखने की है किन्तु उसके दृष्टिकोण से भारत एक महत्वपूर्ण राजनैतिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय सत्ता है।

ऑस्ट्रेलिया की स्थापना एक संघात्मक देश के रूप में 01 जनवरी 1901 को हुई थी। उस समय इसका नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया था। जब यूरोप में जागरूकता और विकास हुआ, तो उसके कई भागों में मृत्युदण्ड का उन्मूलन कर दिया गया। उसी समय वहां यह परम्परा 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में उभरी कि गंभीर अपराधियों को यूरोप के देश दूर-दराज के द्वीपों में निष्कासित करने लगे। ऐसा ही एक द्वीप ऑस्ट्रेलिया था। प्रारम्भ में यह बंदियों का उपनिवेश कहलाता था। सन् 1770 में बंदियों के रूप में इसकी खोज कैप्टन कुक के द्वारा की गई। पहले इस क्षेत्र को न्यू वेल्स कहा जाता था।

ऑस्ट्रेलिया का जनक

ऑस्ट्रेलिया का जनक स्कॉटलैंड से आये गर्वनर मैक्वायर को कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का प्रारम्भ बंदियों के उपनिवेश के रूप में हुआ था। अतः प्रारम्भ में इसके कुछ गर्वनर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये गए, जिनके पास व्यापक प्रशासनिक एवं विधायी शक्तियां थी और इनपर कोई अंकुश नहीं था। सन् 1823 में न्यू साउथ वेल्स जुडिकेचर एक्ट के अंतर्गत गर्वनर की सहायता के लिए एक छोटी-सी विधानपरिषद का गठन किया गया। सन् 1828 में इस परिषद को बहुमत से गर्वनर को रद्द करने का अधिकार मिल गया। सन् 1842 में न्यू साउथ वेल्स अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि विधानपरिषद के दो-तिहाई सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। इसके उपरांत परिषद को स्थानीय प्रशासन् के लिये अनेकों वित्तीय शक्तियां दे दी गई। फिर भी गर्वनर की व्यापक शक्तियां बनी रहीं। समय बीतने के साथ नई बस्तियां और उपनिवेश स्थापित हुए, जिन्हें कि अपने-अपने स्थानीय संविधान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

ऑस्ट्रेलियाई संघ की स्थापना

सन् 1840 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में संघों को एक केन्द्रीय सत्ता की आवश्यकता का अनुभव हुआ और तभी से ऑस्ट्रेलियाई संघ की स्थापना के प्रयास होने लगे। इस व्यवस्था को कायम होने में 60 वर्ष व्यतीत हो गए। सन् 1883 में ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न उपनिवेशों के प्रधानमंत्रियों ने एक बैठक की और ऑस्ट्रेलिया की संघीय परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया। सन् 1885 में एक परिषद स्थापित भी हो गई किन्तु इसमें सबसे बड़ा व्यवधान यह था कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े और धनी उपनिवेश न्यू साउथ वेल्स ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे और संघ की स्थापना का प्रयास असफल हो गया। यह परिषद उतना शक्तिशाली सिद्ध नहीं हुआ। इन उपनिवेशों के लोग ब्रिटिश मूल के ही थे, जिनकी भाषा और सामाजिक संस्थाएं एक-सी थी। उनकी जनसंख्या और उसका घनत्व बहुत कम था। इंग्लैड से इनकी दूरी एक समान थी और इन्हें

ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खतरा भी एक समान था। फिर भी वे एक सशक्त संघीय परिषद का गठन नहीं कर सके। विभिन्न उपनिवेशों ने अपने-अपने सीमा शुल्क निर्धारित कर दिए और स्थानीय स्वार्थ हावी होने से इनमें अलगाववादी प्रवृत्ति पनप गयी। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा छतरी में एक सुरक्षित निद्रा में सोया हुआ था। न्यू साउथ वेल्स के जे. एच. वाण्ट ने कहा की जब ऑस्ट्रेलिया में खतरा होगा, तभी संघीय व्यवस्था की स्थापना का उचित समय आयेगा।

संघीय परिषद की स्थापना

जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी क्षेत्र न्यू गिनी में जर्मनों का आगमन हुआ और न्यू हैब्रीड्स में फ्रांसीसियों का आना हुआ और एशिया में रूस की शक्ति का विस्तार हुआ। साथ में प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की बड़ी शक्तियों में स्पर्धा प्रारम्भ हुई, तो ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश अत्यंत सीमित शक्ति वाली संघीय परिषद की स्थापना के लिए सहमत हो गए और इसकी औपचारिक स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा कर दी गई। सन् 1885 में ब्रिटिश संसद द्वारा संघीय परिषद पारित किया गया, किन्तु दुर्भागयवश दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स ने स्वयं को इस परिषद से अलग रखने का प्रयास किया।

परिषद की शक्तियां अत्यंत सीमित थी। इनके पास कोई प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां नहीं थी। वर्ष में दो बार परिषद की बैठकें करना था। परिषद के निर्णय प्रभावशील करने के लिए उपनिवेशी सरकारों की स्वीकृति अनिवार्य थी। जनसाधारण ने भी परिषद के प्रति कोई विशेष समर्थन, उत्साह, निष्ठा या सम्मान प्रदर्शित नहीं किये। परिषद की बैठक प्रधानमंत्रियों की बैठक नजर आती थी। सन् 1899 में परिषद ने कार्य करना बंद कर दिया।

संसद का विकास

विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और तसमानिया को सन् 1852 में अपने-अपने संविधान बनाने की स्वतंत्रता मिली और इन तीनों को सन् 1855 एवं 1856 में स्वीकार कर लिया गया। इन संविधानों में द्विसदनीय संसदों का प्रावधान था, किन्तु मतदान का आधार लोकतांत्रिक न होकर सम्पत्ति था। न्यू साउथ वेल्स से अलग होकर नवीन राज्य के रूप में निर्मित क्वीन्सलैण्ड का संविधान सन् 1869 में और पश्चिमी वेल्स से अलग होकर नवीन राज्य के रूप में निर्मित क्वीन्सलैण्ड का संविधान सन् 1869 में और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिये सन् 1890 में नया संविधान स्वीकार किया गया। कालांतर में गर्वनरों की शक्तियां कम होती गई और विधानमण्डलों की बढ़ती गई। सन् 1900 में समस्त वयस्क पुरूषों को और सन् 1908 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 01 जनवरी सन् 1901 को ऑस्ट्रेलिया का संविधान प्रभावशील हो गया। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योकिं इसी दिन सन् 1788 में पहला गवर्नर आर्थर फिलिप सिडनी पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया का जनक स्कॉटिश गवर्नर मैक्वायर को माना जाता है।

राष्ट्रीय संवैधानिक सम्मेलन, 1891

सन् 1891 मे सिडनी में 6 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान का एक मसौदा स्वीकार किया गया, किन्तु संघवाद के कट्टर विरोधी न्यू साउथ वेल्स ने इस मसौदे का अनुमोदन नहीं किया और नवीन संविधान के निर्माण का कार्य ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट वर्गों और दबाव समूहों ने संघ स्थापित करने के पक्ष में अभियान जारी रखा।

राष्ट्रीय संवैधानिक सम्मेलन, 1897

सन् 1897-98 में सम्मेलन आयोजित किया गया, किन्तु पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने निर्वाचित प्रतिनिधि भेजने की अपेक्षा नामजद प्रतिनिधि भेज दिये जबकि अन्य उपनिवेशों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भेजे गये।
इस कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ, किन्तु इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण और मूल चर्चा हई। सन् 1891 में सम्मेलन में सरसरी बातचीत हुई थी। सन् 1897 के सम्मेलन में औसतन 12 वर्ष के संसदीय अनुभव वाले प्रतिनिधि थे। इनमें छोटे दुकानदार, श्रमिक वर्ग और मजदूर संघो के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, किन्तु पुनः न्यू साउथ वेल्स के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर नहीं किये।
सन् 1899 में प्रधानमंत्री सम्मेलन में न्यू साउथ वेल्स को कुछ और रियायतें देने का निर्णय किया गया और तब न्यू साउथ वेल्स और क्वीयंसलैण्ड ने दूसरे जनमत संग्रह में संविधान का अनुमोदन कर दिया। तीन सप्ताह तक ब्रिटेन द्वारा समझाने के पश्चात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने भी संविधान का अनुमोदन कर दिया। यद्यपि ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया 09 जुलाई 1900 को ही विधेयक पर अपनी स्वीकृती प्रदान कर चुकीं थी। 01 जनवरी 1901 को ऑस्ट्रेलिया के संघ का जन्म हुआ और इसे कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया नाम दे दिया गया।

संसदीय शासन प्रणाली

ऑस्ट्रेलिया के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है। जिसमें एक नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग संसद के प्रति उत्तरदायी गवर्नर-जनरल करता है। इंग्लेण्ड की रानी ऑस्ट्रेलिया की नाममात्र की संवैधानिक प्रमुख है जो अपनी शक्तियों का प्रयोग और कार्य द्विसदनीय संसद और गवर्नर-जनरल के माध्यम से करती है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार मंत्रीमण्डल है जिसका संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। ऑस्ट्रेलियाई संसद की प्रतिनिधि सभा जो कि वहां का निचला सदन है, मंत्रिमण्डल को विश्वास समाप्त होने पर निष्कासित कर सकती है।

लोकतांत्रिक संविधान

ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अनुसार ऑस्ट्रेलिया एक स्वशासित उपनिवेश है जिसमें विधायन के द्विसदनात्मक संसदीय शासन् प्रणाली है। प्रतिनिधि सभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते है। यद्यपि सीनेट के लिये प्रत्येक राज्यों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते है परन्तु सीनेट के चुनाव के लिये प्रत्येक राज्य एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। संघीय निर्वाचनों के लिए सन् 1913 से मतदान अनिवार्य कर दिया गया जो कि गुप्त होता है। प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये होता है। विधि पारित करने के लिये साधारण बहुमत पर्याप्त होता है। निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है जिसके द्वारा जनता को सरकार की नीतियों का समर्थन या विरोध करने का अवसर मिलता है।

गवर्नर-जनरल एवं कार्यपालिका

गवर्नर-जनरल का पद अनोखा है ब्रिटिश राजा ऑस्ट्रेलिया का नाममात्र का अध्यक्ष है किन्तु वास्तविक शासक गवर्नर-जनरल होता है। ब्रिटिश राजा अपने कार्यों का सम्पादन गवर्नर-जनरल द्वारा करता है जिसकी नियुक्ति राजा अपने प्रतिनिधि के रूप में करता है। गवर्नर जनरल राजा की इच्छापर्यन्त और आवश्यक लगने पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकता है।

सन् 1901 से लेकर 1926 तक गवर्नर-जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार की इच्छा से होती थी किन्तु इसके उपरांत कॉमनवेल्थ सम्मेलनों में यह विचार व्यक्त किया गया कि गवर्नर-जनरल की नियुक्ति संबंधित उपनिवेश की सरकार के परामर्श से ही की जाना चाहिए न कि ब्रिटिश सरकार की इच्छा से। उसे अपने देश की सरकार की सहायता एवं परामर्श से कार्य करना चाहिए न कि ब्रिटिश सरकार की इच्छा से। इस विचार से संबंधित प्रावधान 1931 के अधिनियम में सम्मिलित कर लिये गये। सन् 1969 तक अंग्रेजों को ही गवर्नर-जनरल नियुक्त किया जाता था। सन् 1969 में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को गर्वनर-जनरल नियुक्त किया गया।

संघात्मक संविधान

ब्रिटेन एक एकात्मक राज्य के रूप में विकसित हुआ था किन्तु भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुसरण किया। जिसके कारण यह है कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इंगलैण्ड की तुलना में बहुत विशाल देश है। इसके अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया में अलग-अलग समय में अलग-अलग क्षेत्रों में बसावट हुई और एक क्षेत्र दूसरे से काफी दूरी पर विकसित हुआ। उन्होंने अपनी-अपनी परम्परायें विकसित करने की विधियां बनाई और व्यक्तित्व का विकास किया। ऑस्ट्रेलियाई संघ में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रभावशाली एवं समृद्ध राज्य न्यू साउथ वेल्स था। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की स्थापना हुई थी। उत्तरीय ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार चलाती है। इसमें 30 प्रतिशत वहां के मूल निवासी है। ऑस्ट्रेलियाई संघ के छः राज्यों में न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया (1851) दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया (1836) क्वीन्सलैण्ड (1959) तसमानिया (1855) और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया (1829) सम्मिलित है।

ऑस्ट्रेलियाई संघ में कुछ एकात्मक विशेषताऐं भी है। संघीय सरकार के पास विशाल वित्तीय शक्तियां है जो देश की संचित निधि और सीमा शुल्क को निर्धारित करती है। जहाज रानी, रेल्वे, समुद्री परिवहन, विदेशी मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय के लिए संघ सरकार को अंतर्राज्यीय आयोग की स्थापना का निर्देश दिया गया है। पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए संघ सरकार से अपेक्षा की गई है कि राज्यों से न्यायोचित व्यवहार करे। किसी राज्य की विधि संघीय विधि के विपरीत होने पर उस मात्रा तक शून्य एवं निराकृत होगी जिस मात्रा तक विपरीत है। भारत में यह स्थिति समवर्ती सूची के विषय में है।

ऑस्ट्रेलिया के छः राज्यों के अपने-अपने संविधान है किन्तु उनका कोई भी प्रावधान संघ के प्रावधान के विपरीत नही हो सकता है। राज्यों को अपनी सेना गठित करने का अधिकार नहीं है। दाण्डिक प्रकरण गिरफ्तारी, अभियोजन एवं कारावास के विषय राज्यों को सौंपे गए है। समय बीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई संघ अत्यंत विशाल और शक्तिशाली हो गया है। संघ सरकार ने सफलतापूर्वक राज्यों की शक्तियों को स्थानीय मामलों तक सीमित कर दिया है।

संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट नहीं होना

ऑस्ट्रेलिया एक लोकतंत्र है, फिर भी उसके संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का किसी विशेष भाग में उल्लेख नहीं है। संविधान में किसी भी जगह अधिकारों का उल्लेख नहीं है। नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए न्यायालय सदा तैयार रहते हैं। इतने बड़े लोकतांत्रिक संविधान तक में नागरिकों सभी ब्रिटिश लोकतांत्रिक परम्परायें ऑस्ट्रेलिया में भी पायी जाती हैं और फलफूल रही है। शक्ति पृथक्करण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आदर और सम्मान होता है। समस्त नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार होता है और उन्हें किसी प्रकार की अयोग्यता का शिकार नहीं बनाया जाता है। मूल अधिकार का संवैधानिक प्रावधान न होने के कारण ऑस्ट्रेलिया मानवाधिकारों के

विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिक सक्रिय नहीं है किन्तु इस विषय में वह अमेरिका के साथ सदैव खड़ा रहता है।

अनिवार्य मतदान एवं जनमत संग्रह

ऑस्ट्रेलिया के संविधान की यह एक विशिष्टता है कि देश के समस्त नागरिकों को न केवल मताधिकार है अपितु सभी के लिये मतदान अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर जनमत-संग्रह का भी प्रावधान किया गया है। सन् 1999 में इस विषय पर वहां जनमत संग्रह किया गया कि ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैण्ड के उपनिवेशीय राज्य के स्थान पर गणंतत्र घोषित किया जाये किन्तु वहां की 53 प्रतिशत जनता ने यह प्रस्ताव नकार दिया ।

न्यापालिका की स्वतंत्रता

ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय कहा जाता है। उसके निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होते है। उन्हें पद के स्थायित्व की पूर्ण सुरक्षा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के न्यायालय मूल अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान न होने के बावजूद वहां के नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते है।

संदर्भ-

1. मुलगन रिचर्ड, दि ऑस्ट्रेलियन सीनेट एज ए हाउस ऑफ रिव्यू।
2. एल.एफ. क्रिस्प, ऑस्ट्रेलिया नेशनल गवर्नमेंट।
3. डॉ. पी.के. त्रिपाठी, भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व।
4. डी.डी. बसु, भारत का संविधान।